

न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०), मवाना, मेरठ

उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या- 12/2020

श्रीमति कविता

बनाम

ताराचन्द आदि

निस्तारण प्रार्थना-पत्र संख्या-6 ग

दिनांक-24.04.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 6 ग नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 6 ग पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 8 ग 2 वादिनी के द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद वादिनी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक डिकी व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी हेतु दायर किया है। वादिनी का वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध है और सुविधा का संतुलन भी वादिनी के पक्ष में है। दौरान वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी ना किये जाने की दशा में वादिनी को गम्भीर क्षति होगी। अतः शपथपत्र में दिए गये कारणों के आधार पर दौरान वाद मकान नगर पालिका परिषद मवाना सं० 1770 नया नं० 2232 स्थित मौ० मुन्नालाल मवाना जिसे नक्शा वाद पत्र में अक्षर अ.ब.स.द.य,र,ल,म,न से दर्शाया गया है, प्रतिवादीगण स्वयं या अपने किसी एजेंट द्वारा वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे व प्रयोग में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादीगण की ओर से 26 ग 2 आपत्ति मय शपथ पत्र 27 ग 2 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थिनी विवादित मकान की स्वामिनी नहीं है। कथित वसीयत जिसके आधार पर वादिनी स्वयं को विवादित मकान की स्वामिनी घोषित कराना चाहती है, वह वसीयत जाली फर्जी व नुमाईशी है। उक्त मकान के स्वामी छोटे लाल द्वारा अपने जीवन काल में कभी कोई वसीयत वादिनी या अन्य व्यक्ति के पक्ष में कभी निष्पादित नहीं की है। वादिनी का प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध नहीं है नहीं सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में है। शपथपत्र में दिए गए तथ्यों के आधार पर वादिनी का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खण्डित होने योग्य है। अतः खण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से शपथपत्र से एनेक्चर-1 आधार कार्ड की प्रति, एनेक्चर 2 वोटर आई.डी. प्रति, एनेक्चर 3 ता 5 जाति प्रमाणपत्र व निवास प्रमाणप्रति, एनेक्चर 6 राशन कार्ड प्रति, एनेक्चर 7 संयोजन विच्छेदन पर्ची की प्रति, एनेक्चर 8 लगायत 12 निवास एवं जाति प्रमाणपत्र प्रति, एनेक्चर 13 व 14 मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, सूची 9 ग से 10 ग किराया मूल्यांकन सूची भवन कर 11 ग व 12 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये एवं सूची 9 ग से एक किता किराया मूल्यांकन सूची भवन कर अवधि 2012 ता 2013 से 2017 ता 2018 तक मकान नगर पालिका परिषद मवाना भवन सं० 2232 स्थित मौ० मुन्नालाल मवाना परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ सत्यप्रतिलिपि व असल वसीयतनामा बिला मालयती दिनांक- 21-10-2000 दाखिल किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से सूची 18 ग 2 से 19 क विक्रयपत्र दिनांक 19.02.1966, 20 ग मृत्यु प्रमाणपत्र, 21 ग वारिसान प्रमाणपत्र 22 ग मृत्यु प्रमाणपत्र, 23 ग रसीद नगरपालिका परिषद मवना दिनांक 04.09.2020 24 ग रसीद वाटर टैक्स, 25 ग रसीद हाउस टैक्स दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल की गयी।

पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया।

उभयपक्ष के अभिकथन व प्रति-अभिकथन का विश्लेषण किये जाने के पूर्व माननीय न्यायालय के कतिपय विनिश्चय को उद्धृत किया जाना समीचीन व आवश्यक होगा, जिनमें अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्थायी व्यादेश अनुदत्त किये जाने के लिए आवश्यक तत्वों व शर्तों का विश्लेषण किया गया है –

Kashi Math Samsthan & Anr. vs Srimad Sudhindra Thirtha Swamy, AIR 2010 SC 296 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि-

“It is well settled that in order to obtain an order of injunction, the party who seeks for grant of such injunction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also in his favour and he will suffer irreparable loss and injury if injunction is not granted. But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say, if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not open to the Court to grant injunction in his favour even if, he has made out a case of balance of convenience being in his favour and would suffer irreparable loss and injury if no injunction order is granted.”

माननीय न्यायालय की उक्तोद्धरित विधि व्यवस्थाओं के सादर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के हक में व्यादेश जारी करने हेतु तीन तत्व आवश्यक हैं, **प्रथम**, वादी का प्रथम द्रष्टया मामला बनता हो, जिसका अर्थ है कि वाद में विचारित किये जाने हेतु कोई गंभीर प्रश्न अन्तर्वलित हो तथा न्यायालय के समक्ष के तथ्यों के आधार पर यह अधिसंभाव्यता प्रकट हो कि वादी याचित अनुतोष का हकदार है ; **द्वितीय**, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में हो, अर्थात् व्यादेश अनुदत्त न करने से तुलनात्मक रिष्टि या असुविधा कारित होनी संभव है तथा **तृतीय**, व्यादेश जारी न होने से उसे अपूर्णनीय क्षति कारित होने की सम्भावना हो अर्थात् पक्षकार को क्षति से

संरक्षित किया जाना आवश्यक हो। ये तीन तत्व एक साथ प्रमाणित होने चाहियें, जिनको प्रमाणित करने का भार वादी पर है। जहाँ वादी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता हो वहाँ शेष दो आवश्यक अवयवों (सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति) पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

जहाँ तक प्रथमदृष्टया मामले का संबंध है, उक्त के संबंध में न्यायालय का मत है कि वादिनी के द्वारा वादपत्र में यह अभिकथन किया गया है वादिनी के ससुर ने अपने जीवन काल में वादिनी की सेवा व देखभाल से खुश होकर अपनी पाँचो ज्ञानेन्द्रियों की शुभ अवस्था मे बिना किसी जोर व दबाव के अच्छी तरह सोच समझकर वादिनी की सेवाओं के फ़लस्वरूप विवादित मकान की एक वसीयत दिनांक 21-10-2000 ई 0 को गवाहान की मौजूदगी मे वादिनी के हक में लिखाकर वादिनी को दी थी। छोटेलाल की मृत्यु दिनांक 24-11-2000 ई 0 को हो गयी है। छोटेलाल की मृत्यु के पश्चात छोटेलाल की वसीयत दिनांक 24-11-2000 ई 0 के आधार पर विवादित मकान नगरपालिका परिषद मवाना नया नं0 2232 की जरिए वसीयत दिनांकित 21.10.2000 मालिक काबिज हैं। वादिनी के द्वारा उक्त के संबन्ध में सूची 9 ग से किराया मूल्यांकन सूची भवन सं0 2232 की प्रति कागज संख्या-10 ग एवं वसीयतनामा कागज सं0 11 ग/1 की प्रति दाखिल किया गया है। वादपत्र में नामित किसी भी प्रतिवादीगण का नाम प्रलेखों में होना अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों क खण्डन किया गया तथा प्रश्नगत वसीयत दिनांकित 21.10.2000 को जाली व फर्जी बताते हुए विवादित भवन पर वादिनी का कब्जा बतौर लाईसेंसी के रूप में माना है। क्योंकि प्रतिवादीगण का यह कथन कि प्रश्नगत वसीयत जाली व फर्जी है। यह साक्ष्य का विषय है। पक्षों का साक्ष्य आने के उपरांत ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि प्रश्नगत वसीयत फर्जी है अथवा नहीं। वादिनी का कब्जा लाईसेंसी के रूप में प्रतिवादीगण को स्वीकार है। दौरान बहस उभय पक्ष के द्वारा मौके पर यथास्थिति का आदेश पारित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का कथन भी किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादिनी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है। उक्त के संबंध में न्यायालय का मत है कि वादिनी द्वारा कथन किया गया कि दिनांक-20.02.2020 को प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ गुन्डो को लेकर विवादित मकान पर आये और वादिनी को डरा धमका कर कहने लगे कि हम अपने पिता की वसीयत को नहीं मानते तू मकान खाली करके चली जा वरना हम तेरे सामान बाहर फेक देगे तुझे व तेरे बच्चो को इस मकान में नहीं रहने देंगे। वादिनी ने किसी प्रकार झगड़े को टाल दिया। इस प्रकार वादिनी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी वादिनी को होना संभवित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की प्रथमतः मंशा विवादित भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित किये जाने की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये शपथपत्र मे लिये गये आधार दौरान विचारण देखे जा सकते हैं। प्रार्थनापत्र 6 ग का निस्तारण न्यायालय द्वारा मुख्यतः प्रथम दृष्टया, सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के आधार किया जाता है। प्रतिवादीगण तथा वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का निस्तारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान गुणदोष के आधार किया जाना समीचीन है।

पत्रावली पर विवेचित तथ्यों एवं उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए इस स्तर पर प्रश्नगत सम्पत्ति के संरक्षणार्थ उभयपक्ष को यथास्थिति कायम किये जाने का आदेश पारित किया जाना समीचीन है। प्रार्थना पत्र व आपत्ति तदनुसार निस्तारित होने योग्य है।

-:आदेश:-

प्रश्नगत सम्पत्ति की सुरक्षार्थ एवं संरक्षणार्थ पक्षकारों को पश्नगत सम्पत्ति मकान नगर पालिका परिषद भवन पुरानी सं 1770 हाल नयी भवन सं0 2232 स्थित मौ० मुन्नालाल कस्बा मवाना कलां परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ जिसकी चौहद्दी वादपत्र में संलग्न नक्शा -नज़री अ, ब, स, द, य, र, ल, म, न से प्रदर्शित किया गया है, के संबन्ध में वादिनी एवं प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष उपरोक्त दौरान वाद यथास्थिति बनाए रखेंगे और प्रस्तुत वाद का निस्तारण शीघ्रतिशीघ्र कराने में न्यायालय का सहयोग करेंगे। प्रार्थना पत्र 6 ग व तत्सम्बन्धी आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते विरचन वाद-बिन्दु दिनांक-28.05.2024 को पेश हो।

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज (क०श्रे०)/
मवाना, मेरठ।

I.D. No.-UP3792